



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गुलफाम पुत्र सलीम नि० सिकरी कोंच थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कोंच में मु०अ०सं० 73/24 (वाद संख्या - 69/24) धारा 376(क)(ख) भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 06.07.2024 को मा० न्यायालय एडीजे पॉस्को कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त को दोषी पाते हुये 22 वर्ष एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 02 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल वृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हृदेश कुमार

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice